# न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी – 6417/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

होमबाई आयु लगभग 45 वर्ष पतिन कृपाराम पटैल जाति लोधी
निवासी ग्राम ऊमरा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर.... ..रिवीजनकर्ता

बनाम

जानकीबाई आयु लगभग 82 वर्ष पत्नि स्व.श्री सुंदरलाल तिवारी
निवासी ग्राम ऊमरा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर... ....उत्तरवादी

श्री ...................... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार (राजस्व मंडल)
22 NOV 2018
अधिवक्ता
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

वादग्रस्त स्थित भूमि–मौजा ऊमरा
न.बं.23, प.ह.नं.4/7
तह0 गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
ख. नं. 1/1 रकवा 0.717 हे0

## रिवीजन धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रिवीजनकर्ता यह रिवीजन न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर के राजस्व अपील क्रमांक– 170अ/6 सन 2016–2017 मौजा ऊमरा न.बं. 23 तहसील गोटेगांव में पारित आदेश दिनांक 18.09.2018 से क्षुब्ध व पीड़ित होकर अन्य आधारों के साथ निम्न आधारों पर प्रस्तुत करती है :–

## (प्रकरण के तथ्य)

1. यह कि इस प्रकरण में विवादित भूमि मौजा ऊमरा न.बं. 23 प.ह.नं.7 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 1/1 रकवा 0.717 हेक्टर है। यह भूमि सर्वप्रथम वजरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.08.1958 के जरिये पूरन वल्द हल्कू लोधी निवासी ऊमरा ने रघुवरप्रसाद वल्द छोटेलाल दर्जी निवासी मोहास को विक्रय की थी, तदोउपरांत रघुवरप्रसाद वल्द छोटेलाल दर्जी ने यह भूमि हल्के वल्द दलीपसिंह लोधी निवासी ऊमरा को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 09.06.1961 के द्वारा विक्रय की थी। इसके उपरांत इस भूमि को हल्के वल्द दलीपसिंह लोधी ने गुमनोबाई पत्नि खेतसिंह लोधी निवासी ऊमरा को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17.07.1969 के द्वारा विक्रय की थी। श्रीमती गुमनोबाई ने इस बैनामा से खरीदी गयी भूमि को जुगलकिशोर आत्मज परमानंद ब्राम्हण निवासी पुलगांव जिला वर्धा को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.08.1974 के द्वारा विक्रय की थी।

2. यह कि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.08.1974 के द्वारा जमीन क्रय करने के उपरांत राजस्व अभिलेखो में जुगलकिशोर ब्राम्हण इस भूमि के मालिक स्वत्वाधारी होकर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा आया। स्व. जुगलकिशोर के जीवनकाल में उनके स्वत्व,कब्जा या राजस्व इन्द्राज के बाबद कभी भी किसी ने कोई आपत्ति,एतराज या कार्यवाही नहीं की ।

3. यह कि जुगलकिशोर का दिनांक 13.11.2009 में स्वर्गवास हो गया था, उनके स्वर्गवास होने पर श्रीमती मुन्नीबाई उनकी विधवा पत्नि तथा गन्नू,चंदन पुत्र वारसान रहे है, भूमिस्वामी जुगलकिशोर की मृत्यु हो जाने पर विधिवत उनके उक्त वैध वारसानों के नाम दर्ज होने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–नरसिंहपुर / भू0रा0 / 2018 / 6417

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि· आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24/12/18 | यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 170 अ–6 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–9–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (केंप जबलपुर) में दिनांक 22–11–2018 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( नवीन सॅशोधित संहिता वर्ष 2018 प्रभावी दिनांक 25–9–2018) की धारा 50 में निम्नवत् संशोधन हुआ है :–<br>धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन –<br>(ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व –<br>ग्रहण नहीं किया जायेगा।<br>वर्ष 2018 में उपरोक्तानुसार किये गये सॅशोधन अनुसार प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है।<br>सदस्य | |